बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्रांक–16विनि०–63/2017 263 /कृ०, पटना, दिनांक 28/02/2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
(*) द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

(*) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय :– **राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 कुल 02 (दो) वर्षो में कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), चन्दौती, गया में आर०सी०सी० छत का जीर्णोद्धार, आर०सी०सी० नाला, चहादिवारी का निर्माण, जी०आई० शेड, पेवमेंट सड़क, ग्रेवल बोरिंग, एवं विद्युतीकरण का जीर्णोद्धार/ निर्माण कार्य हेतु कुल 1049.6420 लाख (दस करोड़ उनचास लाख चौसठ हजार दो सौ) रूपये की लागत कर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में 419.8568 लाख (चार करोड़ उन्नीस लाख पचासी हजार छः सौ अस्सी) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत ।**

राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 कुल 02 (दो) वर्षो में कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), चन्दौती, गया में आर०सी०सी० छत का जीर्णोद्धार, आर०सी०सी० नाला, चहादिवारी का निर्माण, जी०आई० शेड, पेवमेंट सड़क, ग्रेवल बोरिंग, एवं विद्युतीकरण का जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य हेतु कुल 1049.6420 लाख (दस करोड़ उनचास लाख चौसठ हजार दो सौ) रूपये की लागत कर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में 419.8568 लाख (चार करोड़ उन्नीस लाख पचासी हजार छः सौ अस्सी) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), गया, चंदौती के जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 419.8568 लाख (चार करोड़ उन्नीस लाख पचासी हजार छः सौ अस्सी) रूपये एवं वर्ष 2019–20 में 629.7852 (छः करोड़ उनतीस लाख अठहत्तर हजार पाँच सौ बीस) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वित करायी जायेगी।

3. इस योजना का उद्देश्य कृषि बाजार समिति के प्रांगण में कृषकों द्वारा उत्पादित फसल उपज को लाभकारी मूल्य प्राप्ति हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है एवं बाजार समिति प्रांगण को विकसित किया जायेगा। इससे किसानों को बाजार समिति के प्रांगण में फसल उपज लाने, भंडारित करने एवं बेचने में सुविधा प्राप्त होगी। तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन (**अनुसूची–1**) अनुरूप राशि 1049.6420 लाख (दस करोड़ उनचास लाख चौसठ हजार दो सौ) रूपये पर ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

4. बाजार समिति परिसर अवस्थित आर०सी०सी० छत का जीर्णोद्धार, आर०सी०सी० नाला, चहादिवारी का निर्माण, जी०आई० शेड, पेवमेंट सड़क, ग्रेवल बोरिंग एवं विद्युतीकरण का जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य योजना की कार्यान्वयन हेतु 1049.6420 लाख (दस करोड़ उनचास लाख चौसठ हजार दो सौ) रूपये की तकनीकी अनुमोदन पत्रांक–9684 (भ), दिनांक–12.09.2018 को मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रदान की गई है। कार्य योजना का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	योजनाओं का नाम	राशि (लाख रू०)
1.	Repair and Renovation RCC Roof Market and GI Sheet Roofing and Godown Building	421.00746
2.	Cost of RCC Drain	105.14220
3.	Construction of Boundry Wall	175.03792

4.	Construction of GI Sheade	11.91123
5.	Construction of Pavment Road	254.21096
6.	Construction of Gravel Boring	13.46124
7.	Cost of Electrification work @ 15%	63.15112
8.	1% Contingencies upto One Crore	1.00000
9.	0.5% Contigences above one Crore	4.71961
	Total :-	1049.64174
	Says :-	1049.64200

5. इस योजना के निर्माण कार्य का अनुमंडल पदाधिकारी, गया–सह–विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), चंदौती, गया द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा समय–समय पर जिला पदाधिकारी, गया द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित), पटना होंगें। इस कार्य को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी पटना समाहरणालय के कोषागार से संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल, पटना द्वारा की जायगी एवं ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को राशि उपलब्ध करायी जायगी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा राशि के व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–051– निर्माण, उपशीर्ष–0119–कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059010510119 विषय शीर्ष 0119.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	5810.00	348.4811
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0102–कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059017890102 विषय शीर्ष 0102.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	1120.00	67.1771
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–796– जनजाति क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0105–कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059017960105 विषय शीर्ष 0105.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	70.00	4.1986
कुल योग :–	7000.00	419.8568

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना की स्वीकृति में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन दिनांक–23.11.2018 को प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–16विनि०–63 / 2017 के पृष्ठ सं०–31 / टि० पर दिनांक–12.02.2019 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

10. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सशर्त्त सहमति संचिका संख्या –16विनि०–63 / 2017 के पृष्ठ सं०–33 / टि० पर दिनांक–18.02.2019 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–33, दिनांक–15.02.2019 है। उक्त सशर्त्त सहमति के आलोक में संचिका के पृष्ठ संख्या–36 / टि० पर दिनांक–25.02.2019 को प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rabindra
27.2.19

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Development Bazar Samiti Chandauti (Gaya) (Mithilesh)

ज्ञापांक–16विनि०–63/2017– 263 /कृ०, पटना, दिनांक 28/02/2019

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 27.2.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–63/2017 – 263 /कृ०, पटना, दिनांक 28/02/2019

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 27.2.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–63/2017 – 263 /कृ०, पटना, दिनांक 28/02/2019

प्रतिलिपि :– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 27.2.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–63/2017 – 263 /कृ०, पटना, दिनांक 28/02/2019

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/ कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (वि०), पंत भवन, बेली रोड, पटना/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग/ प्रमंडलीय आयुक्त, गया/ जिला पदाधिकारी, गया/ सभी संयुक्त कृषि निदेशक/ संयुक्त निदेशक (शष्य) पटना प्रमंडल, पटना/ जिला कृषि पदाधिकारी, गया/ अनुमंडल पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), चन्दौती (गया)/ सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ योजना शाखा/ बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

Rabindra 27.2.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–63/2017 – 263 /कृ०, पटना, दिनांक 28/02/2019

प्रतिलिपि :– उप कृषि निदेशक (सूचना), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

Rabindra 27.2.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

Development Bazar Samiti Chandauti (Gaya) (Mithilesh)